-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कम्पनी व बीसी ग्रुप बनाकर लाभ का लालच देकर ठगी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 4.5 लाख रुपये बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 23.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कम्पनी बनाकर लाभ का लालच देकर ठगी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अलीगंज की रहने वाली अफरोज पत्नी आरिफ द्वारा थाना कोतवाली नगर पर RJS निधि प्राफिट लिमिटेड नामक कम्पनी व बीसी ग्रुप बनाकर लाभ का लालच देकर स्वयं के साथ ठगी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दी गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए। प्रकरण में विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.05.2025 को दोनों अभियुक्तों को नवाब टैंक अतर्रा रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 4.5 लाख रुपये बरामद हुए है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह RJS निधि प्राफिट लिमिटेड नामक कम्पनी व बीसी ग्रुप बनाकर लोगों को लाभ का लालच देकर पैसे जमा कराते थे तथा बाद में कार्यालय बन्द करके भाग गये।

बरामदगी-

- 4.5 लाख रुपये (ठगी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शीबू पुत्र यूसुफ खान निवासी निम्नीपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. जासिम उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र जुनैद रहमान निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 277/25 धारा 316(5)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 श्री परवेज अहमद
2. कां0 फिरोज अंसारी
3. कां0 अखिलेश कुमार